Jharkhand State Cooperative Milk Producers' Federation Ltd
Medha Dairy, Near Birsa Munda Jail, Hotwar, Ranchi – 835217.

पासपोर्ट साइज़ फोटो का स्पेस

<u>परिवहन हेतु निविदा पपत्र</u>

1. आवेदक का नाम ....
2. आवेदक की स्थिति (व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी) ....
3. आवेदक का स्थायी पता ....
   ....
   . ...
4. आवेदक का पत्राचार का पता..................................
   ....
   ....
5. आवेदक का मोबाइल संख्या...
6. आवेदक का पैन कार्ड संख्या ....
7. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या ....
8. परिवहन दर फॉर्मेट

   a. साधारण वाहन 20 MT छमता के लिये:

होटावर से	बिरसा प्रोजेक्ट हीप नो. 3B	बिरसा प्रोजेक्ट हीप नो. 4	कर्मा हीप नो.2
निजी गाड़ी की संख्या			
आवश्यकता होने पर एक समय पर कितने गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती है			
प्रस्तावित दर, प्रति टन (Rate/टन)*			

दिनाकं

निविदादाता का हस्ताक्षर

(मुहर के साथ)

*आवेदक का अन्य कोई भी शर्त अलग से लिखित में देना होगा

परिवहन निविदा की मुख्य शर्ते

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्तो को भली-भांति पड़कर एवं समझकर भरेंगे। अगर निविदा संबंधी कोई जानकारी / स्पष्टता प्राप्त करनी है तो मुख्य कार्यालय के फ़ोन नो 7544003404 पर संपर्क किया जा सकता है।
2. निर्गत निविदा प्रपत्र में भरी गई निविदा ही स्वीकार की जायेगी। भरी गई निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का मुहर के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य है
3. निविदा के साथ अग्रधन के राशि 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडुसर्स फेडरेशन लिमिटेड" के नाम होगा तथा राँची में भुगतेय होगा अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन चेक एवं RTGS के माध्यम से वापस किया जायेगा।
4. भरे गये दर में परिवहन संबंधी सभी खर्च एवं गुड्स एंड सर्विस टैक्स शामिल होंगे। संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों में से नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं इनकम टैक्स (TDS) के कटौती के उपरान्त ही भुगतान की जायेगी।
5. गाड़ी की माँग JMF (झारखण्ड मिल्क फेडरेशन) द्वारा समय समय पर की जायेगी एवं 1-2 दिन पहले सुचना दे दी जायेगी।
6. वैसे सफल निविदादाता जिनका परिवहन दर न्यूनतम पाया जायेगा, सिर्फ उन्ही से दर संबंधी वार्ता की जायेगी।
7. कोयला परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य स्थानों तक परिवहनकर्ता को अपने खर्च पर दुसरे वाहन से सामान लोड कर भेजने की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा, ताकि कोयले की बर्बादी न हो, एवं ससमय डेरी प्लांट पे आपूर्ती हो पाये|
8. कोयला परिवहन के दौरान रस्ते में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त खर्च परिवहन कर्ता की जिम्मेदारी होगी।
9. विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड /अनलोड नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नहीं होगा
10. कोयला परिवहन के लिए डिलीवरी आर्डर ऑफिस से दिया जायेगा. ताकि कोयला परिवहन पंद्रह दिन के अन्दर प्लांट में हो जाये|
11. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कोयला ले जाकर निर्धारित गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पंहुचाना तथा वहा से पावती कराकर चालान /रिसीप्ट JMF ऑफिस में जमा करना होगा। इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं दिया जायेगा .
12. संवेदक जिन्हें कार्य आवंटित किया जायेगा उनके द्वारा भेजी गई गाड़ी के चालक,खलासी या किसी अन्य कर्मचारी के दुवारा कारखाना/कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुचाई जाने पर उसकी जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगा अथवा उनके परिवहन बिल से कटौती की जायेगी।
13. कोयला परिवहन के समय, कोयला भींगे हुए पाये जाने, वजन में कम पाये जाने एवं किसी अन्य प्रकार के क्षति के लिये परिवहन संवेदक जिम्मेवार होंगे। उस स्थिति में उनके परिवहन बिल से सममूल्य राशि की कटौती की जायेगी।
14. यदि परिवहन संवेदक द्वारा गाड़ी माँग की पूर्ति पूर्णतः या अंशतः लगातार 3 दिनों तक नहीं की जाती है, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन (JMF) अन्य श्रोत के माध्यम से गाड़ी की व्यवस्था कर कोयला आपूर्ती करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होगा। उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त परिवहन राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/कटौती की जाएगी। किसी प्रकार आपदा, लोकसभा एवं, विधान सभा चुनाव की स्थिति में इन शर्तो में ढील दी सकती है, जो पूर्णतः प्रवंधन के अधिकार क्षेत्र में होगा।
15. यदि कुल गंतव्यों में से एक या अधिक निविदादाता सफल होते है तो बैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा की वह बाँट कर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को परिवहन कार्य दे सकते है।

16. सफल निविदादाता जिन्हें कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, सात दिनों के अंतर में भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्रों को अपने परिवहन बिल के साथ समर्पित करना होगा, सारे विपत्र के जांचोपरान्त विपत्र का भुगतान चेक/बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
17. सफल निविदादाता को झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के साथ Rs. 100 स्टाम्प पेपर अनुवंध करना होगा एवं सिक्योरिटी राशि जमा करना होगा, जो वाहन के क्षमता के आधार पर तय किया जायेगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।
19. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को किसी भी स्टेज में रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सुरक्षित रहेगा।

निविदा की सभी शर्त स्वीकार्य एवं मान्य है।

दिनाकं:

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)